7294
31·5·17

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 /

दिनांक–

S.S(UPM)

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), वैशाली(हाजीपुर)
जिला– वैशाली

S.O.7
1.6.17

31 MAY 2017

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली(हाजीपुर) के जून 2010 से दिसम्बर 2016 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1211 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

पत्र प्राप्ति
01 JUN 2017
4943
संख्या..........

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14668 / 73

दिनांक– 22.05.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, वैशाली

तनवीर हसन 22/05/17
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 1211/16–17
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
भाग–I
प्रस्तावना

1.	कार्यालय का नाम	कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली (हाजीपुर)
2.	कार्यपालक अभियंता का नाम एवं पताः	श्री केदार प्रसाद साहु, कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली, (हाजीपुर)
3	लेखा परीक्षा की अवधि :	जून 2010 से दिसम्बर 2016 तक
4	लेखापरीक्षा की तिथिः	09.01.2017 से 17.01.2017 तक (08 कार्य दिवस)
5	विस्तृत जाँच का माह	मार्च 2015 एंव मार्च 2016
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री एस.के.वर्मा, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी 2. श्री अनिल कुमार रजक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 3. श्री नीरज कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 4. श्री अमित कुमार, वरीय लेखा परीक्षक 5. श्री अजक कुमार, लेखा परीक्षक
7	लेखापरीक्षा का विस्तार	जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली (हाजीपुर) के जून 2010 से दिसम्बर 2016 तक के लेखाओं का नमूना जाँच किया गया। विस्तृत जाँच का माह मार्च 2015 एवं मार्च 2016 में कोषागार/बैंक से निकासी की गई राशि तथा माह जून 2010 से दिसम्बर 2016 तक के दौरान बैंक/कोषागार में जमा की गई राशि का मिलान विभिन्न बैंक/कोषागार के भुगतान एवं प्राप्ति अनुसूची से की गयी।
8	क्या लेखापरीक्षा आपत्ति पर विचार विमर्श किया गया	हाँ, कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण हाजीपुर (वैशाली) से लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया।

<u>दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र</u>

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली, (हाजीपुर) द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II

खण्ड– क

कंडिका 01

एकरारनामा सं0	**03/SBD, 2015-16 एम.बी. सं0–205/2014–15 की समीक्षा**
योजना का नाम	रामबालक चौक से रामप्रसाद चौक होते हुए धुरदौर पोखर तक आर. सी.सी. नाला निर्माण।
प्राक्कलित राशि	रू0 3,00,53000/–
तकनीकी स्वीकृति	अधिक्षण अभियंता बुडा दिनांक 13.01.2015
प्रशासनिक अनुमोदन	आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुज्फ्फरपुर दिनांक 20.01.2015
संवेदक का नाम	श्री प्रेम प्रताप राय
कार्य आरंभ करने की तिथि	14.05.2015
कार्य पूर्ण करना था	13.05.2016 (1 वर्ष)
कार्य की स्थिति	अपूर्ण
एकरारनामा की राशि	रू0 2,85,31,406/– (3.58 % below)
भुगतान	रू0 1,84,84,725/– (नवॉ चलन्त बिल तक)

अंकेक्षण आपतिः

1. Additional Performanace Guarantee **नहीं लिये जाने के काण संवदेक को अदेय सहायता (रू0 2.25 लाख)**

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र06/1/वी0–2/2003 – 3376 (एस0) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कंडिका सं0 (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की मॉग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 0 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 1.25% तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 2.50% तथा 10% & 15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 5% अर्थात 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की कटौती करनी थी। लेकिन शहरी अभिकरण, वैशाली (हाजीपुर) द्वारा 3.58% below पर रू0 255356 की कटौती करनी थी परन्तु डूडा द्वारा केवल रू0 30,472/– का कटौती किया गया था। अतः संवेदक को रू0 224884 का अदेय सहायता दिया गया था। संवेदक को अदेय सहायता देने के संबंध में पृच्छा करने पर कार्यालय द्वारा
बताया गया कि सुरक्षित जमा राशि से कटौती कर ली जाएगी।
राशि की वसूली करते हुए फलाफल से महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाए।

2. **संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने पर अग्रधन की राशि तथा सुरक्षित जमा राशि को जब्त नहीं किया जाना रू0 20.80 लाख**

इस योजना का कार्यादेश दिनांक 14.05.2015 को दिया गया था तथा कार्य 12 माह अर्थात दिनांक 13.05.2016 तक कार्य पूर्ण किया जाना था। लेकिन संवेदक द्वारा दिनांक 09.04.2016 तक नवाँ चलन्त खाता तक कार्य किया गया था। उसके बाद संवेदक द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया था। कार्य प्रारंभ करने के लिए कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण, वैशाली (हाजीपुर) द्वारा दो पत्र दिया गया था, फिर भी संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। इसके उपरान्त कार्यालय द्वारा संवेदक को न तो काली सूची में डाला गया न ही उसका अग्रधन व सुरक्षित जमा की राशि रू0 20,79,878/– (6,01,100 + 14,78,778) को जब्त किया गया था। आपत्ति के जवाब में बताया गया कि संवेदक को यथाशीध्र काली सूची में डालकर राशि जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

3. **निरर्थक व्यय रू0 170.05 लाख**

यह योजना मुख्य नाला निर्माण का था जो शहर के अन्य नालों से सम्पर्क के साथ धुरदौर पोखर में मिलान करना था लेकिन संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण योजना जनउपयोगी नहीं है। नौवाँ चलन्त खाता तक संवेदक को रू0 1,84,84,725/– का भुगतान किया जा चुका है। इससे सुरक्षित जमा राशि रू0 14,78,778/– धटाने के बाद रू0 1,70,05,947/– का भुगतान किया जा चुका है। एस.बी.डी के क्लाउज के अनुसार संवेदक द्वारा 21 दिनों तक कार्य नहीं करने पर उसे काली सूची में डाल देना था। लेकिन कार्यालय द्वारा यह कार्रवाई भी नहीं की गयी। स्पष्ट है कि नाला नहीं बनने से यह कार्य जनउपयोगी नहीं रहा तथा व्यय रू0 1,70,05,947/– निरर्थक व्यय रहा।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि नाले की पानी धुरदौर पोखर में अस्थायी रूप से उसी नाले से जा रहा है एवं संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने पर संवेदक को काली सूची में डालते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार पटना के दिशानिर्देशानुसार कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सही रूप से नाला का निर्माण नहीं किया गया।

4. बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवता जॉच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस नियम के विपरीत अभिकरण द्वारा सिर्फ दो बार गुणवता जॉच कर सभी नौ Account Bill पारित किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

भाग– II

खण्ड ख

कंडिका 02

Compensation राशि/विलम्ब शुल्क की कम कटौती ₹ 9.37 लाख

एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 2 के अनुसार कार्य समाप्ति में विलंब हेतु प्रत्येक दिन के लिए प्राक्कलित राशि का ½% एवं अधिकतम 10 प्रतिशत Compensation राशि अभिकर्त्ता द्वारा भुगतान किया जाना है, जिला शहरी विकास अभिकरण वैशाली (हाजीपुर) के योजनाओं से संबंधित संचिका के नमूना जॉच (05 योजना) क्रम में पाया गया कि संवेदकों द्वारा दिये गए नियत समय में कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। परन्तु कार्यालय द्वारा विलम्ब अवधि के चलन्त बिल पर ही विलम्ब शुल्क की कटौती की गयी थी। जबकि विलम्ब शुल्क की कटौती प्राक्कलन राशि पर की जानी थी। इस प्रकार नमूना के तौर पर लिए गए 05 योजनाओं में कुल ₹1354400/– राशि की कटौती करनी थी लेकिन कार्यालय द्वारा मात्र ₹ 417273/– ही राशि की कटौती की गयी। अर्थात ₹ 937127 (1354400– 417273) की कम कटौती की गयी थी। इस प्रकार रू0 937127/– की कटौती नहीं कर संवेदक को अदेय लाभ पहुँचाया गया। (परिशिष्ट– I)

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि विलंब से किए गए कार्य को उनके चलन्त बिल से राशि की कटौती की गई है।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि प्रावधानित राशि से कम की कटौती की गयी है।

कंडिका 03–

योजना – नगर पंचायत महनार अन्तर्गत ईशाकपुर पोखर का सौन्दर्यीकरण कार्य का अनियमित कियान्वयन

योजना का नाम/कार्य का नाम	नगर पंचायत महनार अन्तर्गत ईशाकपुर पोखर का सौन्दर्यीकरण कार्य
प्राक्कलित राशि	₹ 45,13,000/–
एकारारनामा राशि	₹ 42,96,242/–
एकारारनामा सं0 :–	40 एफ^2/2013–14
संवेदक का नाम	श्री रिपेश कुमार सिंह
कार्यादेश की तिथि	27.05.2013
कार्य समाप्ति की तिथि	छः माह/26.11.13
वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि/–	05.03.2015

लेखा परीक्षा टिप्पणी:

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूँना जॉच में निम्नानुसार त्रुटियाँ/अनियमितताएँ पाई गईः–

.1. <u>ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 5.37 लाख)</u>

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की क्रय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 5,36,909/– का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 5,36,909/– का भुगतान अनियमित था।

क्र0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	लोकल बालु	222.04 m^3	181.46	40291
2	कोर्स बालु	138.5 m^3	937.46	129838
3	स्टोन चिप्स	211.69 m^3	1613.41	341542
4	ईट	47469 no.	531.69	25238
				536909

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि स्वामित्व कर की कटौती कर ली गयी है एवं एम.एन. के लिए संबंधित को पत्र लिख जा रहा है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया है।

2. समय से पहले जमानत की राशि संवेदक को दिया जाना रू0 2,12,065/–

अल्पकालीन निविदा सूचना सं0 01/2013–14 के क्रम सं0 25 के अनुसार कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता 36 माह (तीन वर्ष) की होगी। तत्पश्चात कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही संवेदक को जमानत की राशि विमुक्त की जाएगी।

संचिका नमूना जॉच में पाया गया कि वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 05.03.2015 है नियमानुसार 36 माह अर्थात 04.03.2018 के बाद कार्य संतोषप्रद/त्रुटि सुधार होने पर जमानत की राशि वापस की जा सकती है, परन्तु चेक सं0 695590 दिनांक 11.07.2016 द्वारा रू0 2,12,065/– संवेदक को लौटा दिया गया है। इस प्रकार (3 वर्ष के बाद के स्थान पर) मात्र 1 वर्ष 04 माह बाद ही जमानत राशि लौटाकर संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि चूंकि कार्य की जॉच तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा कर लिया गया था, इसलिए संवेदक की सुरक्षित जमा राशि वापस की गयी।

जवाब मान्य नहीं हैं क्योंकि प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है।

3. <u>बिना</u> Deviation at a site statement <u>का अनियमित भुगतान (रू0 2.09 लाख)</u>

बिहार सरकार तकनीकी परीक्षण कोषांग (निगरानी) मंत्रीमंडल बिहार पत्रांक सं0 1/स्था0–27/83/2345 दिनांक 31.12.1983 की कंडिका 6 (ii) के अनुसार Deviation at a site statement के अनुसार कार्यपालक अभियंता को 10 प्रतिशत तक अधीक्षण अभियंता को 15 प्रतिशत तथा मुख्य अभियंता को 25 प्रतिशत का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके लिए Deviation at a site statement Register बनाना आवश्यक है। इस योजना में 10 प्रतिशत के अन्तर्गत Deviation at a site का भुगतान किया गया था। विवरण निम्न है–

क्र0	कार्य का नाम	प्रा0 मात्रा (बी.ओ.क्यु)	वास्तविक तथा मापी की मात्रा	वृद्धि (प्रतिशत में)	अंतर मात्रा	दर	राशि
1	Construction of embankment with approved material E/I	522.940 m^3	576.66 m^3	10.27	53.72 m^3	180.631 m^3	9703
2	Local sand filling in foundation	96.840 m^3	105.53 m^3	8.97	8.69 m^3	473.377/ m^3	4113
3	Designation 100 A brick	645.60 m^2	709.52 m^2	9.90	63.92 m^2	240.50/ m^2	15373
4	Plain/reinforced cement concrete in sub structure	189.10 m^3	204.961 m^3	8.39	15.861 m^3	6770.58/ m^3	107388
5	Brick masonary work in	45.74 m^3	49.53 m^3	8.28	3.79 m^3	5078.31/ m^3	19247
6	Plastering with cement	129.02 m^2	141.81 m^2	9.91	12.79 m^2	86.73/ m^2	1109
7	Chequered precast cement concrete tiles	90.00 m^2	98.93 m^2	9.92	8.93 m^2	572.33/ m^2	5110
						कुल	162043

Deviation at a site statement Register प्रस्तुत नहीं किया गया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि रजिस्टर नहीं बनाया गया है फिर भी कार्यपालक अभियंता द्वारा 10 प्रतिशत के अन्दर राशि रहने के कारण मापी पुस्तिका प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है।

जवाब मान्य नहीं हैं क्योंकि प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

4. समय सीमा के अन्दर कार्य की समयावृद्धि हेतु आवेदन नहीं दिया जाना एवं संवेदक को अदेय सहायता रू0 4.51 लाख

एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 5 के अनुसार कार्य समाप्ति के समयावृद्धि हेतु संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ करने के 40 दिनों के अन्दर ही समयावृद्धि हेतु आवेदन दिया जाना अनिवार्य है। लेकिन संचिका जॉच के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि संवेदक द्वारा समयावृद्धि का आवेदन संचिका में संलग्न नहीं है तथा कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 05.03.2015 के बाद मुख्य अभियंता नगर विकास एवं आवास विभाग

द्वारा पत्रांक 182/2016/836 दिनांक 23.11.2016 द्वारा समयावृद्धि की अनुमति दी गई है एवं समयावृद्धि हेतु काटी गयी राशि रू0 2,12,813/– (कटौती– प्रथम, चतुर्थ एवं पंचम चालू विपत्र) थी जिसे 05.12.2016 को द्वारा लौटा दिया गया है जो एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 5 के विपरीत है। अतः कार्य विलम्ब अवधि 1 वर्ष 03 माह लगभग के लिए प्राक्कलित राशि ₹ 4513000/– का 10 प्रतिशत रू0 4,51,300/– की कटौती नही कर संवेदक को अदेय सहायता दिया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि कार्य के संचालन हेतु तथा नगर परिषद के बढ़ती वाहन दवाब के कारण समयवृद्धि के दिन में कुछ कठिनाई आई है।

समयावृद्धि का संचिका में आवेदन नहीं था। अतः जवाब मान्य नहीं है।

5. गुणवत्ता जॉच प्रत्येक चालू बिल के बाद नहीं किया जाना

बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जॉच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। संचिका जॉच क्रम में देखा गया कि अभिकरण द्वारा दिनांक 20.05.2014 को गुणवत्ता जॉच कराया गया है। जबकि मापी पुस्त में प्रथम एकाउन्ट बिल दिनांक 14.08.2013 एवं अंतिम एकाउन्ट मापी बिल दिनांक 05.03.2015 दर्ज है। यानि प्रत्येक एकाउन्ट बिल के बाद गुणवत्ता जाँच नहीं करवायी गयी है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि गुणवत्ता जॉच कार्य समाप्ति के उपरान्त करायी गयी है।

6. स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन नहीं किया जाना

आवंटन पत्र के योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित शर्त्त सं0 4 मे यह दर्ज है कि इस योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गॉव के लोगों को लिया जाएगा। जहॉ संबंधित येाजना को लागू किया जा रहा है। इस समिति में कम से कम 5 और अधिकतम 10 व्यक्ति होंगे जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं की उचित प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना कार्यान्वयन से पूर्व इस समिति का गठन करना है। यह समिति कियान्वयन के दौरान कार्यो की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नजर रखेगी तथा अपना प्रतिवेदन कार्यकारी एजेन्सी को समर्पित करेगी।

परन्तु संचिका जॉच क्रम में देखा गया कि उपर्युक्त नियम एवं शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

7. निविदा के लिए पर्याप्त समयावधि नहीं दिया जाना

बिहार वित्त नियमावली के नियम 131(ज)v के अनुसार बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि सामान्यतः निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि अथवा बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि, जो भी बाद

में हो, से तीन सप्ताह की होगी। जहाँ विभाग विदेशों से आमंत्रण (बोली) प्राप्त करने की इरादा रखती है तो वहां देशी एवं विदेशी बोलीकर्त्ता दोनों के लिए न्यूनतम अवधि चार सप्ताह रखी जानी चाहिए।

नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य के लिए निविदा प्रकाशन की तिथि संचिका में दर्ज नहीं एवं बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि, 24.04.2013 था। जबकि उक्त नियमानुंसार निविदा समर्पित करने की न्यूनतम अवधि तीन सप्ताह अर्थात 15.05..2013 होना चाहिए था, परन्तु कार्यालय द्वारा निविदा बिक्री के दिन मात्र 01 दिन का समय दिया गया जो उक्त नियम का उलंधन था जिसके कारण प्रतिभागी इस निविदा में पूर्ण रूप से भाग नहीं ले सका। इस निविदा में केवल दो प्रतिभागी ही भाग लिया है। इस प्रकार से निविदा पारदर्शी नहीं हो पाया और दर का निर्धारण निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाया। आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

8. मशीन एवं संयंत्र का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0 01/2013–14 के क्रम सं0 12(v) के अनुसार मशीन एवं संयंत्र किराया पर लेने की स्थिति एवं स्वामी होने पर उक्त संयंत्र का भैतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं इसका प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता डूडा, वैशाली के द्वारा तकनीकी बीड में समर्पित किया जाएगा, परन्तु संचिका में भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा

कंडिका 04

योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन

योजना का नाम/कार्य का नाम	हाजीपुर नगर परिषद अन्तर्गत वार्ड नं0 4 में प्राथमिक विद्यालय से बाइपास रोड तक पथ में पी0सी0सी0 कार्य। वर्ष 2016–17
अभिकर्ता का नाम	श्री रितेश कुमार सिंह
प्राक्कलित राशि	₹ 4939200.00
एकरारनामा की राशि	4233631.00 (परिमाण विपत्र से 10% below)
एकरारनामा सं0	9 एफ2/16–17, MB सं0–231
आवंटित राशि	**₹ 2469600.00**
मापी पुस्त की राशि	₹ 4219406.00
कार्यादेश की तिथि	16.05.2016
कार्य समाप्ति की तिथि	चार माह/15.09.2016
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	16.08.2016
भुगतान की गयी राशि	**₹ 3746000.00**

लेखा परीक्षा टिप्पणी:

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जॉच में निम्नानुसार त्रुटियॉ/अनियमितताएँ पाई गई।

1. **<u>ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 14.48 लाख)</u>**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

अभिकर्ता से प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किये जाने के कारण इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 1447974.00 का किया गया भुगतान अनियमित था।

क0 सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	स्टोन मेटल	308.31 m^3	1497.56/ m^3	461713
2	गिट्टी	438.63 m^3	1863.79/ m^3	817514
3	कोर्स बालू	200.66 m^3	655.73/ m^3	131579
4	ईंट	18563 No.	555.09 प्रति हजार	10304
5	मेरम	14 m^3	1332.19/ m^3	18651
6	लोकल बालू	42.26 m^3	194.36/ m^3	8214
			कुल योग	**1447975**

प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं करने तथा स्वामित्व कर कटौती का कारण की पृच्छा की गयी।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि स्वामित्व की कटौती कर ली गई है एवं एम.एन के लिए संवेदक को पत्र लिखा जा रहा है।

जवाब मान्य नहीं हैं, क्योंकि प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है।

2. **आवंटन राशि से अधिक भुगतान ₹ 12.76 लाख**

इस योजना के लिए कुल राशि रू0 2469600.00 आवंटित किया गया था। कार्य पूर्ण होने के उपरांत अभिकर्ता को कुल राशि रू0 3746000.00 (रॉयल्टी, लेबर सेस, इन्कम टैक्स आदि सहित) का भुगतान किया गया, जो आवंटित राशि से रू0 1276400.00 अधिक था। अभिकर्ता को आवंटित राशि से अतिरिक्त राशि रू0 1276400.00 का भुगतान किन परिस्थितियों में किया गया इसे लेखापरीक्षा दल को अवगत नहीं कराया गया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि आवंटन के लिए मॉग पत्र माननीय जिला पदाधिकारी को भेजी जा चुकी है।

जवाब मान्य नहीं हैं क्योंकि बिना आवंटन के ही संवेदक को भुगतान कर दिया गया।

3. निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त सं0 17(2)(क) के अनुसार, निविदा सूचना की अन्य शर्तों को पूरा करने के बावजूद कोई संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदि संवेदक द्वारा

किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किया गया हो। इस योजना में अभिकर्ता द्वारा जमा/अपलोड किये गये दस्तावेजों में लेबर लाईसेंस संबंधी दस्तावेज में मजदूरों की सं0 ओवर राइटिंग कर बीस से सौ कर दिया गया था। जिसपर लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था। जो निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों के अनुकूल नहीं है। जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि यह लिपिकीय भूल है

जवाब संतोषप्रद नहीं है।

4. अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त के अनुसार मशीन एवं संयंत्र किराया पर लेने की स्थिति एवं स्वामी हाने पर उक्त संयंत्र का भैतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं इसका प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता डूडा, वैशाली के द्वारा समर्पित किया जाएगा, परन्तु संचिका में भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

   आपत्ति के जवाब में बताया गया कि काई भी संवेदक ग्रेड–2, ग्रेड–3 से नीचे नहीं आए थे। इसलिए इसकी जॉच नहीं की गई है।

   जवाब मान्य नहीं हैं।

5. बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जॉच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस नियम के विपरीत कार्यालय द्वारा सभी Account Bills का भुगतान किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है।

   जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

   जवाब मान्य नहीं हैं, क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया है।

कंडिका 05

<u>योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन</u>

योजना का नाम/कार्य का नाम	वार्ड नं0 28 में आर0एन0 कॉलेज के पश्चिम PCC सड़क से पूरब होते हुए यूसूफपुर PCC सड़क तक पथ में PCC कार्य
अभिकर्ता का नाम	श्री ब्रजेष कुमार पाण्डेय
प्राक्कलित राशि	₹ 4981300.00
एकरारनामा की राशि	₹ 4032433.00 (प्राक्कलन से 15% below)
एकरारनामा सं0	9 एफ2/14–15, MB सं0–190
आवंटित राशि	₹ 42.31 लाख
मापी पुस्त की राशि	₹ 4029831
कार्यादेश की तिथि	11.06.2014
कार्य समाप्ति की तिथि	तीन माह/10.09.2014

कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 20.03.2015

भुगतान की गयी राशि **₹ 4029831.00**

लेखा परीक्षा टिप्पणी:

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जॉच में निम्नानुसार त्रुटियॉ/अनियमितताएँ पाई गई।

1. **ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 20.57 लाख)**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदन नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

अभिकर्ता से प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किये जाने के कारण इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 2056983.00 का किया गया भुगतान अनियमित था।

क0 सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	स्टोन मेटल	646.62 m^3	1613.41/ m^3	1043263
2	गिट्टी	388.86 m^3	2045.01/ m^3	795223
3	कोर्स बालू	196.72 m^3	937.46/ m^3	184417
4	ईंट	16500 No.	531.69 प्रति हजार	8773
5	मेरम	13.71 m^3	1328.40/ m^3	18212
6	लोकल बालू	39.10 m^3	181.46/ m^3	7095
			कूल योग	2056983

प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं करने तथा स्वामित्व कर कटौती नहीं किए जाने के संबंध में कार्यालय द्वारा बताया गया कि स्वामित्व कर की कटौती कर ली गई है एवं फार्म एम.एन. के लिए संवेदक को पत्र लिखा जा रहा है।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया है।

2. अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त के अनुसार मशीन एवं संयंत्र किराया पर लेने की स्थिति एवं स्वामी होने पर उक्त संयंत्र का भैतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं इसका प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता डूडा, वैशाली के द्वारा समर्पित किया जाएगा, परन्तु संचिका में भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि बिहार लोक निर्माण संहिता के एम–2 के अनुसार उसकी जॉच की गई थी जिसका जॉच प्रतिवेदन संचिका से अलग रखा गया।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि प्रतिवेदन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जाएगी। इस योजना में कार्य समाप्ति के एक वर्ष के बाद ही दिनांक 20.04.2016 को जमानत की राशि चेक सं0 000087/20.04.2016 द्वारा रू0 201492.00 अभिकर्ता को वापस कर दी गयी। लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए आपत्ति के जवाब में बताया गया कार्य की स्थिति तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी के जॉचोपरान्त ही भुगतान किया जाता है तथा अवशेष रशि वापस की जाती है।

   जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

4. बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जॉच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस नियम के विपरीत कार्यालय द्वारा केवल एक बार जॉच कराकर सभी Account Bills का भुगतान किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है। पुनः इस योजना में Bricks संबंधी कार्य होने के पूर्व ही गुणवत्ता जॉच हेतु दिनांक 26.02.2015 को इसे MIT मुजफ्फरपुर भेजा गया था। जो युक्तिसंगत नहीं है।

   आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान दिया जाएगा।

5. संचिका के नमूना जॉच के क्रम में ज्ञात हुआ कि कार्यालय के पत्रांक 89 दिनांक 14.02.2015 द्वारा अभिकर्ता को सूचित किया गया है कि कार्य की प्रगति संतोषप्रद नहीं है अभी तक पूरी लंबाई मे GSB का कार्य भी पूर्ण नहीं कराया गया है। जबकि MB में GSB के कार्य की मापी दिनांक 30.01.2015 को हो चुकी थी। इससे ज्ञात होता है कि संबंधित MB कार्य के विभिन्न स्तरों पर तैयार न कर कार्य पूर्ण होने के बाद तैयार की गयी है। लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान दिया जाएगा।

   जवाब मान्य नहीं है।

कंडिका 06

योजना सं0 01/2013–14 हाजीपुर नगर परिषद अन्तर्गत पुराना गंडक पुल धाट का सौन्दर्यीकरण कार्य

योजना का नाम/कार्य का नाम	हाजीपुर नगर परिषद अन्तर्गत पुराना गंडक पुल धाट का सौन्दर्यीकरण कार्य।
प्राक्कलित राशि	₹49,10,400/–
एकारारनामा राशि	₹46,74,751/–
एकारारनामा सं0 :–	55 एफ$_2$/2013–14
संवेदक का नाम	श्री शैलेश कुमार सिंह
कार्यादेश की तिथि	27.05.2013
कार्य समाप्ति की तिथि	छः माह/26.11.13

वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि/– 02.11.2014

लेखा परीक्षा टिप्पणीः

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूँना जॉच में निम्नानुसार त्रुटियाँ/अनियमितताएँ पाई गई–

1. **ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 1.47 लाख)**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 142440 का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 142440 का भुगतान अनियमित था।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	लोकल बालु	119.32 m^3	181.46	21652
3	कोर्स बालु	175.96 m^3	566.90	99751
4	ईट	39567 no.	531.69	21037
				142440

प्रपत्र M तथा N नहीं प्राप्त करने तथा स्वामित्व कर कटौती के कारण की पृच्छा की गई।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि स्वामित्व कर की कटौती कर ली गयी है एवं एम.एन के लिए संवेदक को पत्र लिखा जा रहा है।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया है।

2. **समय से पहले जमानत की राशि संवेदक को दिया जाना**

अल्पकालनीन निविदा सूचना सं0 01/2013–14 के कम सं0 25 के अनुसार कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता 36 माह (तीन वर्ष) की होगी। तत्पश्चात कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनके जमानत की राशि विमुक्त की जाएगी।

संचिका नमूना जॉच में पाया गया कि वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 31.10.2014 है नियमानुसार 36 माह अर्थात 30.10..2017 के बाद कार्य संतोषप्रद/त्रुटि सुधार होने पर जमानत की राशि वापस की जा सकती है, परन्तु चेक सं0 695568 दिनांक 24.05.2016 द्वारा रू0 2,14,751/–

संवेदक को लौटा दिया गया है। इस प्रकार समय से लगभग 1 वर्ष 6 माह पहले ही जमानत राशि लौटाकर संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया गया है।

आपत्ति के जबाव में बताया गया कि चूँकि कार्य की जॉच तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा कर लिया गया था, इसलिए संवेदक की सुरक्षित जामा राशि वापस की गयी।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

3. **मशीन एवं संयंत्र का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना**

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0 01/2013–14 के क्रम सं0 12(v) के अनुसार मशीन एवं संयंत्र किराया पर लेने की स्थिति एवं स्वामी हाने पर उक्त संयंत्र का भैतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं इसका प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता डूडा, वैशाली के द्वारा तकनीकी बीड में समर्पित किया जाएगा, परन्तु संचिका में भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि इसका सत्यापन हो चुका है, प्रतिवेदन अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाएगा।

4. **गुणवत्ता जॉच पत्येक चालू बिल के बाद नहीं किया जाना**

बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जॉच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। संचिका जॉच क्रम में देखा गया कि अभिकरण द्वारा दिनांक 07.08.2013 गुणवत्ता जॉच कराया गया है। जबकि मापी पुस्त में प्रथम मापी दिनांक 20.12.2013 दर्ज है। यानि कार्य होने से पहले का ही गुणवत्ता जॉच प्रमाण पत्र संलग्न है। कार्य प्रारम्भ होने से पहले का गुणवत्ता प्रमाण पत्र किस प्रकार लगाकर बिल को पास कर दिया गया है। लगाया गया गुणवत्ता प्रमाण पत्र काट– छॉट कर बनाया गया है जो मापी सं0 112/2013–14 लालगंज नगर पंचायत में पोखर सौन्दर्यीकरण कार्य से संबंधित है। आपत्ति के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

5. **स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन नहीं किया जाना**

आवंटन पत्र के योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित शर्ते सं0 4 मे यह दर्ज है कि इस योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गॉव के लोगो को लिया जाएगा। जहॉ संबंधित येाजना को लागू किया जा रहा है। इस समिति में कम से कम 5 और अधिकतम 10 व्यक्ति होंगे जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना कार्यान्वयन से पूर्व इस समिति का गठन करना है। यह समिति कियान्वयन के दौरान कार्यो की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नजर रखेगी तथा अपना प्रतिवेदन कार्यकारी एजेन्सी को समर्पित करेगी।